भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3343

जिसका उत्तर 9 दिसम्बर, 2019/18 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री जन-धन खातों संबंधी प्रभार

3343. सुश्री दिया कुमारीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत कई लोगों ने दो बैंक खाते खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस योजना के अंतर्गत कई निजी बैंक प्रच्छन्न प्रभार लगा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत खोले गए खाते मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 10.06.2019 के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि बीएसबीडी खाता धारक उसी बैंक में कोई भी अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं है। यदि किसी ग्राहक का उस बैंक में कोई बचत बैंक जमा खाता है तो उनको बीएसबीडी खाता खोले जाने के 30 दिन के भीतर उसे बंद करना है। इसके अतिरिक्त, बीएसबीडी खाता खोलने से पहले बैंक को सलाह दी गई है कि वे ग्राहक से यह घोषणा प्राप्त करें कि उनका किसी दूसरे बैंक में बीएसबीडी खाता नहीं है।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बीएसबीडी खाते, खाता धारकों को न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने की आवश्यकता के बिना निम्नलिखित निर्धारित अनिवार्य न्यूनतम बैंकिंग सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान करते हैं;

- एटीएम/नकदी जमा मशीनों (सीडीएम) के साथ-साथ बैंक शाखा पर नकद राशि जमा करना।
- केन्द्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रह के द्वारा अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से धनराशि प्राप्त/ जमा करना।
- एक माह में की जाने वाली जमा की संख्या और मूल्य के संबंध में किसी सीमा का नहीं होना।

- एक माह में एटीएम आहरणों सहित न्यूनतम चार आहरण की सुविधा।
- एटीएम कार्ड या एटीएम-सह-डेबिट-कोर्ड

37.60 करोड़ पीएमजेडीवाई खाते हैं जिसमें न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने की आवश्यकता के बिना अनिवार्य न्यूनतम बैंकिंग सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, विद्यमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, प्रकटीकरण के आधार पर बैंक न्यूनतम सुविधाओं के अलावा, चेकबुक जारी करने सहित अतिरिक्त मूल्य-वर्द्धित सेवाएं प्रदान कर सकते है जिनपर भेदभाव रहित तरीके से शुल्क लगाया/नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी अतिरिक्त सेवाएं ग्राहकों के विकल्प के अनुसार होनी चाहिए। तथापि, जबकि ऐसी अतिरिक्त सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंक को ग्राहक से न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी अतिरिक्त सेवाओं की पेशकश से यह तब तक गैर पीएमजेडीवाई खाता नहीं बनेगा, जब तक निर्धारित न्यूनतम सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं। बीएसबीडी खातों को सभी के लिए उपलब्ध सामान्य बैंकिंग सेवा माना जाता है।

*****